10.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड की व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद बिविधता बढ़ेगी। तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाते है कि मौजा ओडा के जमाबंदी खा.सं. 96 के ख.सं. 156/2 का कुल रकबा 0.8256 हैक्टेयर भूमि, जो प्रार्थीगण की आराजी भूमि है, में मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें। न किसी अन्य से करावें। प्रार्थीगण को काश्त करने में रुकावट पैदा न करें, न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा